उत्तर प्रदेश सरकार

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022

प्रमुख बिन्दु

औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन

श्रेणियाँ	पूंजी निवेश
वृहद	₹50 करोड़ से अधिक किन्तु ₹200 करोड़ से कम
मेगा	₹200 करोड़ या उससे से अधिक किन्तु ₹500 करोड़ से कम
सुपर मेगा	₹500 करोड़ या उससे अधिक किन्तु ₹3000 करोड़ से कम
अल्ट्रा मेगा	₹3000 करोड़ या उससे अधिक

स्टाम्प ड्यूटी में छूट

- बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल में 100%
- मध्यांचल तथा पश्चिमांचल में 75% (गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद को छोड़कर)
- गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों में 50%

निवेश प्रोत्साहन सब्सिडी - आवेदन के समय तीन पारस्परिक रूप से अनन्य विकल्पों में से एक विकल्प चुनने का एक बार का विकल्प। मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किए जाने के बाद तथा उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति या प्राधिकृत समिति, जैसा भी प्रकरण हो, के अनुमोदन के लिए लंबित होने कि दशा में विकल्प बदलने का एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध होगा।

· **विकल्प 1: बूस्टरों के साथ पूंजीगत सब्सिडी**

पूंजीगत सब्सिडी = आधार पूंजीगत सब्सिडी x सकल क्षमता उपयोग गुणक (GCM) + अतिरिक्त क्षमता सब्सिडी

क) आधार पूंजीगत सब्सिडी – (ईसीआई = पात्र पूंजी निवेश)

जनपद / क्षेत्र	वृहद	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद	10 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 10 प्रतिशत	12 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 18 प्रतिशत	15 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 20 प्रतिशत	20 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 22 प्रतिशत
मध्यांचल तथा पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर)	10 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 12 प्रतिशत	12 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 20 प्रतिशत	15 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 22 प्रतिशत	20 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 25 प्रतिशत
बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल	10 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 15 प्रतिशत	12 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 22 प्रतिशत	15 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 25 प्रतिशत	20 वर्षों की अवधि में ईसीआई का 30 प्रतिशत
प्रोत्साहन संवितरण अवधि	10 वर्ष के दौरान 10 वार्षिक किश्तों में	12 वर्ष के दौरान 12 वार्षिक किश्तों में	15 वर्ष के दौरान 15 वार्षिक किश्तों में	20 वर्ष के दौरान 20 वार्षिक किश्तों में
वार्षिक सीमा	₹5 करोड़	₹10 करोड़	₹50 करोड़	₹150 करोड़
बूस्टर के साथ वार्षिक सीमा	लागू नहीं	₹15 करोड़	₹75 करोड़	₹210 करोड़

ख) सकल क्षमता उपयोग गुणक (GCM) = न्यूनतम (75%, विचाराधीन वर्ष की अधिकतम क्षमता उपयोगिता) / 75%

- जीसीएम को प्रथम वर्ष के लिए 1 माना जाएगा, बशर्ते इकाई द्वारा क्षमता उपयोग, स्थापित क्षमता का 40% हो।
- अनुवर्ती वर्षों के लिए GCM को 1 माना जाएगा, बशर्ते उस वर्ष की अधिकतम क्षमता का उपयोग, स्थापित क्षमता का 75% या उससे अधिक हो।
- यदि अधिकतम क्षमता उपयोग 75% से कम है, तो GCM को आनुपातिक रूप से कम किया जाएगा।

ग) बूस्टर के रूप में अतिरिक्त पूंजीगत सब्सिडी

वार्षिक पूंजीगत सब्सिडी = [(आधार पूंजीगत सब्सिडी x जीसीएम) + (रोजगार बूस्टर + निर्यात बूस्टर + पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर)] / लागू प्रोत्साहन संवितरण अवधि

- रोजगार बूस्टर: औसत वार्षिक रोजगार निम्नानुसार माना जाएगा...

परियोजना श्रेणीवार	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
न्यूनतम रोजगार	300	600	1500

- प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी हेतु न्यूनतम रोजगार नियोजित करने या न्यूनतम 75 प्रतिशत महिला कर्मियों को रोजगार देने पर – 2% का बूस्टर
- प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम रोजगार के दोगुने से अधिक या 75% महिलाओं को न्यूनतम रोजगार से दोगुना रोजगार देने पर – 3% का बूस्टर
- प्रश्नगत् परियोजना श्रेणी के लिए न्यूनतम रोजगार के तीन गुना से अधिक या 75% महिलाओं को न्यूनतम रोजगार से तीन गुना रोजगार देने पर – 4% का बूस्टर
- निर्यात बूस्टर: किसी वर्ष में कुल राजस्व के सापेक्ष निर्यात एवं राजस्व के अनुपात के रूप में निर्धारित, निम्नानुसार -
- निर्यात के माध्यम से अपने उत्पादन के 25% से अधिक या उसके बराबर - ईसीआई के 2% का निर्यात बूस्टर
- निर्यात के माध्यम से अपने उत्पादन के 50% से अधिक या उसके बराबर - ईसीआई के 3% का निर्यात बूस्टर
- निर्यात के माध्यम से अपने उत्पादन के 75% से अधिक या उसके बराबर - ईसीआई के 4% का निर्यात बूस्टर
- पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर: उत्तर प्रदेश के भीतर किसी विद्यमान या नई विनिर्माण इकाई से अपने अंतिम उत्पाद के विनिर्माण के लिए इनपुट / कच्चे माल की खरीद पर, निम्नानुसार -
- कच्चे माल/इनपुट सामग्री की कुल आवश्यकता का 40% से 60% - ईसीआई के 2% का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर
- कच्चे माल/इनपुट सामग्री की कुल आवश्यकता का 60% से 75% - ईसीआई के 3% का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर
- 75% से अधिक - ईसीआई के 4% का पारिस्थितिकी तंत्र बूस्टर

- **विकल्प 2: शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति**

शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति: निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार राज्य के खाते में जमा शुद्ध एसजीएसटी राशि के 100% की प्रतिपूर्ति :

- **विकल्प 2: शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति**

  शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति: निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार राज्य के खाते में जमा शुद्ध एसजीएसटी राशि के 100% की प्रतिपूर्ति :

विवरण		वृहद	मेगा	सुपर मेगा	अल्ट्रा मेगा
शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति का वार्षिक प्रतिशत्		100%	100%	100%	100%
प्रतिपूर्ति की अवधि (वर्षों में)		6	12	14	16
गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	16%	7%	6%	5%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	80%	80%	80%	80%
मध्यांचल एवं पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर)	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	18%	17%	14%	13%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	90%	200%	200%	200%
बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में वार्षिक सीमा	20%	25%	21%	19%
	ईसीआई के प्रतिशत के रूप में समग्र सीमा	100%	300%	300%	300%

विकल्प 3: भारत सरकार के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) पर टॉप-अप

भारत सरकार की पीएलआई योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रोत्साहनों पर टॉप-अप

- भारत सरकार की पीएलआई योजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएलआई प्रोत्साहनों का 30% (जब भारत सरकार द्वारा संवितरित किया जाए)
- प्रोत्साहनों की समग्र सीमा पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) के 100% तक सीमित होगी

केस-टू-केस प्रोत्साहन

- राज्य सरकार विशेष महत्व की परियोजनाओं हेतु यथावश्यकता केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहनों का विशेषीकृत पैकेज प्रदान करने पर विचार कर सकती है।
- केस-टू-केस प्रोत्साहन के लिए पात्र परियोजनाओं का प्रकार मा. मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए प्रोत्साहन

- एकल (स्टैंडअलोन) अनुसंधान एवं विकास इकाइयों को व्यय के 25% (अधिकतम ₹10 करोड़ तक) की प्रतिपूर्ति। नीति की अवधि में अधिकतम 10 इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- पात्र विनिर्माण इकाइयों तथा स्टैंडअलोन अनुसंधान एवं विकास से संबंधित इकाइयों के लिए इन-हाउस आर एंड डी के

परिणामस्वरूप पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण के लिए किए गए व्यय का 50% (अधिकतम ₹1 करोड़ तक) की प्रतिपूर्ति।

उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को वित्तीय अनुदान

- परियोजना लागत का 50% ₹10 करोड़ तक
- निजी कंपनियों के या पीएसयू के या सरकारी उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), जो किसी भी नीति के अंतर्गत लाभ हेतु अर्ह नहीं हैं, उनको प्रोत्साहन
- नीति की अवधि में अधिकतम ऐसे 10 सीओई को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें एक सेक्टर में अधिकतम 2 सीओई की सीमा है

अवस्थापना विकास परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन

(उदाहरण के लिए पंप स्टोरेज प्लांट (पीएसपी); अन्य परियोजनाओं को समय-समय पर सम्मिलित किया जा सकता है)

- पात्र निवेश आकार = मेगा तथा उससे उच्च श्रेणी
- प्रोत्साहन: स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति; आधार पूंजीगत सब्सिडी (विकल्प 1 के अनुसार, जीसीएम व किसी बूस्टर के बिना)

निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन

निजी औद्योगिक पार्कों के विकसकर्ताओं को प्रोत्साहन (जिनमें न्यूनतम 5 इकाइयों हों तथा किसी एक इकाई के पास कुल आवंटन योग्य क्षेत्र के 80% से अधिक क्षेत्रफल पर कब्जा नहीं होना चाहिए):

- बुंदेलखंड तथा पूर्वांचल में 20 एकड़ या उससे अधिक तथा मध्यांचल तथा पश्चिमांचल में 30 एकड़ या उससे अधिक
- पात्र पूंजीगत निवेश (ईसीआई) के 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी (भूमि लागत को छोड़कर) - मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में अधिकतम ₹ 40 करोड़ तक, बुंदेलखंड या पूर्वांचल में ₹ 45 करोड़ तक
- औद्योगिक पार्क में श्रमिकों के लिए हॉस्टल/आवास (भूमि लागत को छोड़कर) की लागत के 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी - अधिकतम ₹ 25 करोड़ तक

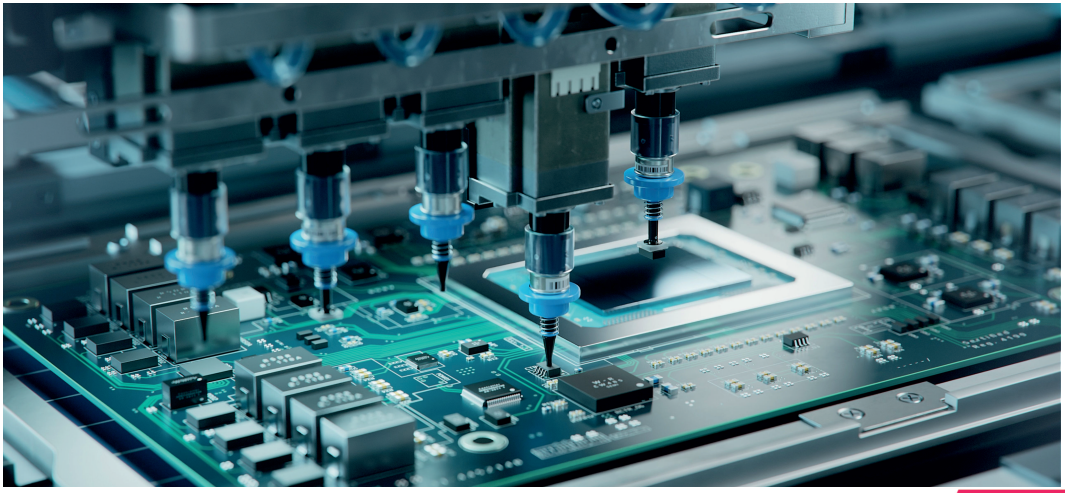

- भूमि की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट
- 100 एकड़ से अधिक
- पात्र पूंजीगत निवेश (ईसीआई) के 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी (भूमि लागत को छोड़कर) - अधिकतम ₹80 करोड़ तक
- औद्योगिक पार्क में श्रमिकों के लिए हॉस्टल/आवास (भूमि लागत को छोड़कर) की लागत के 25% की दर से पूंजीगत सब्सिडी - अधिकतम ₹50 करोड़ तक
- भूमि की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट

70% प्रोत्साहन पार्क का विकास पूर्ण होने पर जारी किया जाएगा, अगला 10% भूखंडों का आवंटन पूर्ण होने पर तथा अंतिम 15% पार्क में इकाइयों के वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के बाद जारी किया जाएगा।

निजी औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि समुच्चयन की सुविधा

- सरकार औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, आवास विकास प्राधिकरणों, स्थानीय नगर निकायों या अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के बाहर भूमि अधिग्रहण में निजी उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगी।
- 100 एकड़ से अधिक के न्यूनतम 05 इकाइयों वाले निजी औद्योगिक पार्कों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें किसी भी इकाई का आवंटित औद्योगिक क्षेत्र के 80% पर कब्जा नहीं है।
- इसके लिए, कुल प्रस्तावित भूमि क्षेत्र के 25% के अधिग्रहण (पंजीकृत विक्रय विलेख के साथ) हो जाने पर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। ऐसे लाइसेंस-प्राप्त क्षेत्रों में अन्य इकाइयों के लिए कोई मानचित्र अनुमोदन तथा विकास / निर्माण को नियंत्रित नहीं किया जाएगा। विकासकर्ता के पास लाइसेंस-प्राप्त क्षेत्र में विकास / निर्माण के अनन्य अधिकार होंगे।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) 18 माह के भीतर प्रस्तुत की जानी होगी। उक्त अवधि में कुल भूमि अधिग्रहण का 60% (लैंड पूलिंग समझौते सहित) पूर्ण हो जाना चाहिए।
- 75% भूमि अधिग्रहण (लैंड पूलिंग समझौते सहित) के उपरांत मानचित्र अनुमोदन प्राप्त करके लाइसेंस की तिथि से 2 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए। मानचित्र अनुमोदन हेतु यूपीसीडा नोडल संस्था होगी।
- विकासकर्ता द्वारा कुल प्रस्तावित भूमि का 80% एकत्रित होने के उपरांत यदि शेष भूमि के अधिग्रहण में कोई समस्या आती है, तो समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर यूपीसीडा द्वारा इसका अधिग्रहण किया जाएगा।

फास्ट ट्रैक भूमि आवंटन

क) निम्नलिखित श्रेणी के निवेशकों के लिए फास्ट-ट्रैक आधार पर वरीय भूमि आवंटन –

डीपीआर के अनुसार सुपर मेगा तथा उससे उच्च श्रेणी

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली मेगा परियोजनाएं:

- 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) वाली परियोजनाएं
- गत निरंतर 3 वर्षों में फॉर्च्यून ग्लोबल-500 में सम्मिलित कंपनियां

- गत निरंतर 3 वर्षों में इकोनॉमिक टाइम्स-200 में सम्मिलित कंपनियां
- गत निरंतर 3 वर्षों में 200 कंपनियां - फोर्ब्स ग्लोबल-2000 / एशिया बेस्ट में सम्मिलित कंपनियां

o वृहद से उच्च श्रेणी की परियोजनाएं जो सरकार के बहुमत स्वामित्व वाली किसी भी राज्य / केंद्र सरकार की औद्योगिक पीएसयू

ख) औद्योगिक क्षेत्रों में जहां प्रत्यक्ष भूमि आवंटन की अनुमति है, संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण सीधे निवेशक के पक्ष में भूखंड आवंटित करेगा। अनेक आवेदनों के प्रकरण में, उच्चतम निवेश करने वाले निवेशक को आवंटन किया जाएगा।

ग) औद्योगिक क्षेत्रों में जहां भूमि नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाती है, भूमि को सीधे भूखंड की आधार दर + आधार दर के अतिरिक्त 15% पर आवंटित की जाएगी। अनेक आवेदनों के प्रकरण में, उच्चतम निवेश करने वाले निवेशक को आवंटन किया जाएगा।

घ) किसी भी औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण या स्थानीय नगर निकाय के बाहर के क्षेत्रों में, राज्य सरकार पात्र इकाई द्वारा अपेक्षित भूमि का 1.25 गुना भूमि का अधिग्रहण करेगी, ताकि इस प्रकार अधिग्रहीत अतिरिक्त भूमि में न्यूनतम 4 अन्य औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा सकें तथा एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा सके।

भूमि बैंक में वृद्धि

- औद्योगिक उपयोग के लिए गैर-कृषि, बंजर तथा कृषि-योग्य भूमि की पूलिंग करना
- बंजर ग्राम समाज भूमि/पात्र सरकारी भूमि को 30 वर्ष के पट्टे पर प्रदान करना
- राजस्व संहिता के प्राविधानों में संशोधन करना, जैसे कृषि भूमि को गैर-कृषि भूमि में परिवर्तित करना, भूमि उपयोग में परिवर्तन, निजी भूमि से ग्राम समाज भूमि का विनिमय, अनुसूचित जाति की भूमि पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति आदि
- सरकार/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाले भूमि बैंक का उपयोग
- औद्योगिक उद्देश्य के लिए भार/देयता मुक्त भूमि के पट्टे या विक्रय के लिए वेब आधारित सुविधा विकसित करना
- औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों के भीतर स्थित ग्राम समाज की भूमि को बिना किसी शुल्क के निहित करना
- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के अंतर्गत औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को बिना किसी शुल्क के राज्य में ग्राम समाज की भूमि के पुनर्ग्रहण की अनुमति प्रदान करने के लिए निर्देश जारी करना
- भूमि बैंक के सृजन हेतु लैंड पूलिंग नीति-2020 को सुदृढ़ करना।

नोडल एजेंसी : इन्वेस्ट यूपी तथा यूपीसीडा, अवस्थापन एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ. प्र. शासन

INVEST UP

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश